UPKN010039142012

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, कानपुर–नगर।</u>

उपस्थित : श्री अजय कुमार त्रिपाठी–II .... उच्चतर न्यायिक सेवा

सत्र परीक्षण संख्या–726/2012

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

बनाम

(1) महेन्द्र शुक्ला पुत्र उदय नारायन
(2) उदय नारायन पुत्र स्व0 लल्लू प्रसाद
(3) श्रीमती मीरा देवी पत्नी उदय नारायन
सभी निवासीगण म0नं0–56 एम0आई0जी0–I, भाग–2, गंगागंज कालोनी, थाना–पनकी, जिला–कानपुर नगर। हाल पता म0नं0–415/8 राजेनगर, थाना–नौबस्ता, कानपुर–नगर।

................अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–31/2012
धारा–306 भा0द0सं0
<u>थाना–पनकी, जिला–कानपुर नगर।</u>

<u>निर्णय</u>

पुलिस थाना–पनकी, जिला–कानपुर नगर द्वारा अभियुक्तगण महेन्द्र शुक्ला, उदय नारायन एवं श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध धारा–306 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध अन्तर्गत धारा–306 भा0द0सं0 अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण अभियुक्तगण के वाद को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–07, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 10.09.2012 को सत्र सुपुर्द किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुक्रम में उपरोक्त सत्र परीक्षण अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा विनोद कुमार दीक्षित द्वारा अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–07, कानपुर–नगर के न्यायालय में धारा–156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र महेन्द्र शुक्ला, उदय नारायन शुक्ला, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती पूनम एवं रामू द्विवेदी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी ने अपनी बहन अनीता शुक्ला का विवाह दिनांक 15.05.1993 को विपक्षी सं0–1 के साथ हिन्दू परम्परा के अनुसार यथा शक्ति दान दहेज के साथ

सम्पन्न किया था। वादी की बहन अनीता के पति, सास, ससुर, ननद एवं नन्दोई अर्थात् विपक्षीगण उक्त दहेज से सन्तुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने अनीता को कुछ समय ठीक से रखा। श्रीमती अनीता शुक्ला एवं विपक्षी सं0–1 के संसर्ग से एक पुत्र अभिषेक व पुत्री अपूर्वा ने जन्म लिया, जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 10 वर्ष है। विवाह के कुछ समय पश्चात् सभी विपक्षीगण ने वादी की बहन श्रीमती अनीता शुक्ला से अतिरिक्त दहेज के रूप में दो बीघा जमीन की मांग की तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अपमानित करते थे। उक्त जानकारी होने पर वादी एवं उसके भाई ने विपक्षीगण से अनुरोध किया कि वह जमीन की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और इस सम्बन्ध में कई बार सुलह समझौता भी वादी एवं विपक्षीगण के मध्य हुआ, परन्तु विपक्षीगण नहीं माने और दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी प्रताड़ना जारी रखी। दिनांक 22/23.09.2011 की रात में वादी की बहन श्रीमती अनीता शुक्ला ने विपक्षीगण की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दिनांक 23.09.2011 को सूचना मिलने पर वादी अपनी बहन की ससुराल गया तथा थानाध्यक्ष पनकी से रिपोर्ट लिखे जाने का अनुरोध किया, परन्तु उन्होंने रिपोर्ट अंकित नहीं की। परिणामस्वरूप वादी ने उसी दिन डी0आई0जी0 पुलिस, कानपुर–नगर को पंजीकृत डाक से घटना की रिपोर्ट भेजी, फिर भी रिपोर्ट नहीं होने पर वादी ने पुनः दिनांक 05.10.2011 को घटना की लिखित रिपोर्ट आई0जी0 पुलिस, कानपुर को डाक द्वारा भेजी एवं रिपोर्ट न लिखे जाने पर दिनांक 14.12.2011 को क्षेत्राधिकारी कल्यानपुर, कानपुर–नगर को दस्ती प्रार्थनापत्र दिया और रिपोर्ट दर्ज किये जाने का अनुरोध किया, परन्तु वादी की रिपोर्ट अभी तक अंकित नहीं की गयी। अतः प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष, थाना–पनकी, कानपुर–नगर को वादी की धारा–306 भा0द0सं0 में रिपोर्ट अंकित कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाए।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 पर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना–पनकी, जिला–कानपुर नगर पर दिनांक 11.01.2012 को अभियुक्तगण महेन्द्र शुक्ला, उदय नारायन शुक्ला, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती पूनम एवं रामू द्विवेदी के विरूद्ध धारा–306 भा0द0सं0 के अन्तर्गत चिक प्रदर्श क–3 दर्ज कर अभियोग पंजीकृत किया गया और जी0डी0 प्रदर्श क–4 में मुकदमा कायमी का उल्लेख किया गया। विवेचक द्वारा मामले में विवेचना प्रारम्भ की गयी। मृतका अनीता शुक्ला के शव का पंचायतनामा पुलिस द्वारा भरकर शव

को सीलकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा मृतका के शव का पोस्टमार्टम डाक्टरों द्वारा किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 डाक्टर द्वारा तैयार की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–5 तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। अन्य साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त पुलिस द्वारा अभियुक्तगण महेन्द्र शुक्ला, उदय नारायन शुक्ला, श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध धारा–306 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 07.06.2013 को अभियुक्तगण महेन्द्र शुक्ला, उदय नारायन एवं श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध धारा–306 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप लगाए गए। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की मांग की।

दौरान विचारण अभियुक्ता श्रीमती मीरा देवी की मृत्यु दिनांक 10.12.2020 को हो जाने के कारण उसके विरूद्ध उक्त वाद की कार्यवाही न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.12.2021 के द्वारा उपशमित (Abate) की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित (वादी मुकदमा), पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित (मृतका का भाई), पी0डब्लू0–3 जगमोहन, पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन (चिकित्सक), पी0डब्लू0–5 कां0 मोहित कुमार (एफ0आई0आर0 लेखक), पी0डब्लू0–6 मुन्ना सिंह एवं पी0डब्लू0–7 निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार (विवेचक) को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 (प्रदर्श क–1), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क–2), चिक एफ0आई0आर0 (प्रदर्श क–3), कार्बन प्रति जी0डी0 (प्रदर्श क–4), नक्शा नजरी (प्रदर्श क–5), आरोप पत्र (प्रदर्श क–6), चालान शव (प्रदर्श क–7/1 व 7/2), फोटो नाश (प्रदर्श क–8), पत्र सी0एम0ओ0 (प्रदर्श क–9), नमूना सील (प्रदर्श क–10) एवं पंचायतनामा (प्रदर्श क–11) प्रस्तुत किये गये।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजनपक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें

अभियुक्तगण ने कथित घटना से इन्कार करते हुए कथन किया है कि गवाहान ने उनके विरूद्ध गलत गवाही दी है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप मनगढ़न्त एवं झूठे हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अभियुक्तगण ने यह भी कथन किया है कि विनोद कुमार ने अपने लड़के की नौकरी लगवाने हेतु रूपये मांगे थे, जो नहीं दिये तो उन्होंने मृतका से चुपचाप सारा जेवर ले लिया और वापस नहीं दिया तथा इसी कारण मृतका ने आत्महत्या कर ली। उनके द्वारा मृतका से कभी भी दहेज की कोई मांग नहीं की गयी और न ही उसे उक्त मांग के लिये प्रताड़ित किया गया। मृतका ने उनकी वजह से आत्महत्या नहीं की है।

अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू0–1 अभिषेक शुक्ला को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में अभियुक्तगण की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूपेण अवलोकन एवं परिशीलन किया।

पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित, जो कि वादी मुकदमा एवं मृतका का भाई है, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह बात कही है कि उसने अपनी बहन अनीता की शादी दिनांक 15.05.1993 को महेन्द्र शुक्ला पुत्र उदय नारायन, नि0 56 एम0आई0जी0 भाग–2 गंगागंज कालोनी, पनकी, कानपुर–नगर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर सम्पन्न करायी थी। शादी के दूसरे दिन वह अपनी ससुराल गयी। शादी के समय से इस घटना तक अभियुक्तगण उपरोक्त मकान में संयुक्त रूप से रहते थे और एक ही चूल्हे में खाना बनता था। जब वह अपनी बहन को ससुराल विदा कराने गया तो उसकी बहन के पति महेन्द्र शुक्ला, ससुर उदय नारायन, सास मीरा देवी, ननद पूनम द्विवेदी एवं नन्दोई रामू द्विवेदी ने कहा कि शादी में कम दहेज दिया। कुछ समय तक ठीक ठाक रहा। इसके बाद उसकी बहन अनीता को दो बच्चे हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम अभिषेक शुक्ला व बेटी का नाम अपूर्वा है, जिनकी घटना के समय उम्र करीब 12 व 10 वर्ष की थी। इसके कुछ दिन बाद उपरोक्त सभी मुल्जिमान उसकी बहन से अतिरिक्त दहेज में दो बीघा जमीन की मांग करने लगे। उसकी बहन ने जब उन लोगों को यह बात बतायी तो उसने तथा उसके भाई अशोक दीक्षित ने बहन की ससुराल जाकर दो बीघा जमीन दहेज में देने में असमर्थता जाहिर की तथा समझा बुझाकर घर वापस आ गये। इसके बाद

उपरोक्त मुल्जिमान उसकी बहन को दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा अपमानित करते थे। उसकी बहन के पति महेन्द्र शुक्ला, ससुर उदय नारायन शुक्ला, सास मीरा देवी, ननद पूनम द्विवेदी व नन्दोई रामू द्विवेदी उसकी बहन से दहेज की मांग करते रहे और उसे प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 22/23.09.2011 की रात्रि में उपरोक्त अभियुक्तगण की लगातार दहेज की प्रताड़ना की वजह से परेशान होकर उसकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर वह अपने भाई अशोक दीक्षित एवं मां सरजू देवी आदि लोगों के साथ बहन की ससुराल गया। घटना की जानकारी करने के बाद थाने में रिपोर्ट लिखाने गया, किन्तु उसकी रिपोर्ट न लिखकर थाने से भगा दिया गया। उसी दिन उसने डी0आई0जी0, आई0जी0 एवं सी0ओ0 कल्यानपुर को अलग–अलग तिथियों में पत्र दिया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसके बाद दिनांक 21.12.2011 को न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर मुकदमा लिखा गया। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी बताया है कि उसकी बहन अनीता के शव का पंचनामा दिनांक 23.09.2011 को दिन में लगभग 10–12 बजे हुआ था तथा पोस्टमार्टम दिन के करीब चार बजे के आस–पास हुआ था। इसके बाद शव मिलने के उपरान्त उसने अपनी बहन का अंतिम संस्कार भैरों घाट पर किया था। दरोगा जी ने उसके बयान दिनांक 14.01.2012 को अंकित किये थे। इस साक्षी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित, जो मृतका का भाई है, ने अपने शपथपर्वूक बयानों में यह बात कही है कि उसकी बहन का नाम अनीता शुक्ला था। उसकी शादी दिनांक 15.05.1993 को महेन्द्र शुक्ला नि0 गंगागंज कालोनी के साथ की थी तथा अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति महेन्द्र, ससुर उदय नारायन, सास मीरा शुक्ला, ननद पूनम द्विवेदी एवं नन्दोई रामू द्विवेदी शादी में दिये गये दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे। कुछ दिन उसकी बहन को ठीक से रखा तथा बाद में ये लोग दहेज में दो बीघा जमीन की मांग करने लगे। उन लोगों को पता चला तो बहन की ससुराल गये, लेकिन उपरोक्त लोग दो बीघा जमीन लेने के लिये अड़े रहे। वे लोग जमीन देने में असमर्थ रहे, जिससे नाराज होकर उक्त सभी लोग उसकी बहन अनीता शुक्ला को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 22/23.09.2011 की रात उसकी बहन ने प्रताड़ना से तंग आकर ससुराल में आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना उन लोगों को दिनांक

23.09.2011 को मिली, तब वे लोग बहन की ससुराल गये, वहां पुलिस मौजूद थी। वे लोग घर गये तो घर की तीसरी मंजिल पर उसकी बहन बांस की बल्ली पर साड़ी से गला बंधा हुआ लटकी थी। उन लोगों के सामने लाश को नीचे उतारा था। रिपोर्ट उसके भाई विनोद थाने पर लिखाने गये थे तथा वहां पर कोई कार्यवाही न होने पर डी0आई0जी0 को रजि0 पत्र भेजा था, फिर आई0जी0 को प्रार्थनापत्र दिया। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो न्यायालय से आदेश कराया था, तब पुलिस ने कार्यवाही की थी। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

पी0डब्लू0–3 जगमोहन, जो अभियुक्तगण का पड़ोसी है, ने अपने शपथपर्वूक बयानों में यह बात कही है कि अभियुक्त उदय नारायन उसके पड़ोसी हैं तथा महेन्द्र शुक्ला इनके लड़के हैं। महेन्द्र की शादी मृतका अनीता शुक्ला के साथ हुयी थी। महेन्द्र शुक्ला कोई काम नहीं करते थे। महेन्द्र की गृहस्थी उनके पिता उदय नारायन पर निर्भर थी। उदय नारायन वर्ष–2011 से पहले टेलीफोन विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेन्शन पर आधारित हो गये थे, कोई रोजगार नहीं करते थे। उदय नारायन की लड़की पूनम की शादी लालबंगला के रामू द्विवेदी के साथ हुयी थी। रामू व उसकी पत्नी उदय नारायन के घर आते जाते थे तथा विशेष मौके पर रूकते भी थे। मृतका अनीता व महेन्द्र के बीच तीन लड़के थे। पहला पोलिया होकर मर गया था, एक लड़का व एक लड़की जिन्दा है। सितम्बर–2011 में अनीता शुक्ला ने अभियुक्त उदय नारायन के घर में आत्महत्या कर ली थी। वह नहीं बता सकता कि जीवित बच्चों की मां ने आत्महत्या क्यों की। उसे नहीं मालूम कि महेन्द्र शुक्ला के कामकाज न करने के कारण मृतका अनीता शुक्ला व उसके पति महेन्द्र, ससुर उदय नारायन व सास मीरा देवी से आये दिन लड़ाई झगड़ा होता था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन, जो चिकित्सक साक्षी हैं, ने अपने शपथपर्वूक बयानों में यह बात कही है कि दिनांक 23.09.2011 को उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस, कानपुर–नगर में थी। उक्त तिथि को समय 3.45 बजे कां0 रंजीत सिंह व होमगार्ड सर्वेश कुमार सीलशुदा एक मृत्यु शव अनीता शुक्ला उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी महेन्द्र कुमार लेकर आये तथा कां0 रंजीत सिंह ने उसकी शिनाख्त की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्न तथ्य सामने आये थे।

<u>बाह्य परीक्षण</u> –

सामान्य कद काठी का शरीर था। आंख व मुंह आंशिक रूप से खुले थे। मुंह के दाहिने ओर लार के निशान थे। मृत्यु के बाद की अकड़न पूरे शरीर में मौजूद थी तथा पी0एम0 स्टेनिंग शरीर के पीछे के हिस्से में मौजूद थी। ओंठ, चेहरा, नाखून नीले पड़े हुए थे। एक साड़ी गांठ सहित गले में लिपटी हुयी थी।

<u>आन्तरिक परीक्षण</u> –

एक लाइगेचर मार्क 26 x 2 सें0मी0 गले के चारो ओर था, जिसमें 5 सें0मी0 का अन्तराल गले के बायें हिस्से में मौजूद था, जो कि ठुड्डी से 4 सें0मी0 दूर था एवं 1 सें0मी0 बायें कान के नीचे था। विच्छेदन करने पर चमकदार सफेद ऊतकों की उपस्थिति मौजूद थी। मस्तिष्क की झिल्लियां एवं मस्तिष्क कन्जेस्टेड थे। गले की हड्डी सही सलामत थी। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे। हृदय का दाहिना हिस्सा भरा हुआ तथा बायां हिस्सा खाली था। आमाशय में 50 एम0एल0 तरल पदार्थ मौजूद था एवं आमाशय की भित्ती सामान्य थी। छोटी एवं बड़ी आंत में गैस एवं मल पदार्थ की मौजूदगी थी। लीवर, तिल्ली और दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। शरीर में यूट्रस नहीं पाया गया था।

<u>मृत्यु कारण</u> –

फांसी के कारण दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है तथा मृत्यु का समय एक दिन के अन्दर का है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

पी0डब्लू0–5 कां0 मोहित कुमार, जो चिक एफ0आई0आर0 लेखक हैं, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह बात कही है कि दिनांक 11.01.2012 को वह थाना–पनकी में कां0 क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन डाक से प्राप्त प्रार्थनापत्र के आधार पर उसने मु0अ0सं0–31/20121, धारा–306 भा0द0सं0 चिक संख्या–11/2012 महेन्द्र शुक्ला आदि के विरूद्ध किता किया था तथा उक्त मुकदमे का खुलासा उसी दिन जी0डी0 के रपट सं0–28 समय 16.05 पर किया था। इस साक्षी ने चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क–3 एवं जी0डी0 की प्रति को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

पी0डब्लू0–6 मुन्ना सिंह, जो अभियुक्त का पड़ोसी है, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह बात कही है कि वह अभियुक्त महेन्द्र शुक्ला का पड़ोसी है। महेन्द्र शुक्ला की शादी मृतका अनीता शुक्ला के साथ हुयी थी।

महेन्द्र शुक्ला कोई कामधाम नहीं करते थे। इन सब बातों को लेकर महेन्द्र शुक्ला, उनके पिता उदय नारायन शुक्ला, मां मीरा देवी तथा अनीता शुक्ला के बीच विवाद होता रहता था और लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उदय नारायन शुक्ला की पुत्री पूनम द्विवेदी व उसके पति रामू द्विवेदी, महेन्द्र शुक्ला व उसकी पत्नी के विवाद में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। वह अलग रहते थे। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। अनीता शुक्ला ने अपनी ससुराल में ही 6–7 साल पहले आत्महत्या कर लिया था।

पी0डब्लू0–7 निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह बात कही है कि वह दिनांक 11.01.2012 को थाना–पनकी में चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन उपरोक्त अभियोग की विवेचना उसे प्राप्त हुयी थी। दौरान विवेचना उसके द्वारा नकल दस्तावेज दर्ज केस डायरी कर वादी एवं अन्य गवाहों के बयान अंकित किये गये। वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। अभियुक्तगण रामू द्विवेदी व पूनम द्विवेदी का बयान अंकित किया गया तथा उनकी नामजदगी गलत पाये जाने पर उनका नाम मुकदमे से पृथक किया गया। अन्य साक्ष्य संकलित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि दिनांक 23.09.2011 को वह थाना–पनकी में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था तथा उस दिन उसके द्वारा मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही को पंचों की नियुक्ति के उपरान्त सम्पादित किया गया था। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में नक्शा नजरी, आरोप पत्र, चालान शव, फोटो नाश, पत्र सी0एम0ओ0, नमूना सील एवं पंचायतनामा को क्रमशः प्रदर्श क–5 लगायत क–11 के रूप में साबित किया है।

बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी0डब्लू0–1 अभिषेक शुक्ला ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह बताया है कि मृतका अनीता शुक्ला का वह पुत्र है। वह अपने पिता महेन्द्र शुक्ला व बाबा उदय नारायन शुक्ला उक्त मुकदमे के मुल्जिमान के साथ रहता है। उसके मामा विनोद दीक्षित के पुत्र शिवम दीक्षित की सेना में नौकरी लगनी थी, जिसके लिये उसके मामा ने उसके बाबा से आर्थिक मदद मांगी थी तथा बाबा ने पैसा न होने के कारण मना किया था। इस पर उसके मामा ने उसकी माता मृतका अनीता शुक्ला से जेवर मांगे थे यह कहकर कि उसके पुत्र की नौकरी लगने के बाद जेवर गिरवी से उठाकर आप को वापस कर दूंगा। इस बात पर उसकी माता मृतका अनीता शुक्ला ने उसके मामा विनोद दीक्षित को जेवरात दे दिये थे।

इसके बाद उसके मामा के पुत्र की नौकरी सेना में लग गयी थी, लेकिन उसके मामा ने जेवरात वापस नहीं किये थे, तब उसकी माता मृतका अनीता शुक्ला ने दिनांक 22.09.2011 को नानी के यहां मामा को फोन करके जेवरात वापस मांगे थे तथा उन्होंने जेवरात देने से मना कर दिया था। उसकी माता मृतका अनीता शुक्ला ने गुस्से में आकर फोन पटक दिया था। दिनांक 23.09.2011 को उसकी परीक्षा कक्षा–7 की थी, इसलिये उसकी माता ने उसे सोने के लिये कह दिया था। इसके बाद वह सो गया था। सुबह उसे व उसके पापा को घटना की जानकारी किरायेदार ने बतायी थी। उसकी मां व उसके पिता में मधुर सम्बन्ध थे। घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उसके पिता व बाबा ने उसकी मां को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित नहीं किया है। उसके पिता व बाबा व अन्य परिजनों ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की है।

अभियोजनपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका अनीता शुक्ला ने ससुरालीजन के दहेज की मांग और उत्पीड़न के चलते दिनांक 23.09.2011 को आत्महत्या कर ली थी। इस तथ्य को मृतका के भाई पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित एवं पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने न्यायालय के समक्ष साबित किया है। मृतका की मृत्यु फांसी लगने के कारण असामान्य दशा में हुयी थी। यह तथ्य पी0डब्लू0–4 के रूप में परीक्षित डा0 यशोवर्धन सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 के आधार पर साबित किया है। विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही को विवेचक ने साबित किया है। अभियोजन कथानक सन्देह से परे अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या करने हेतु विवश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म बखूबी साबित है। अतः उन्हें दोषसिद्ध कर दंडित किया जाए।

बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका अनीता शुक्ला का विवाह स्वीकृत रूप से वर्ष–1993 में हुआ था एवं मृतका की मृत्यु फांसी लगने के कारण वर्ष–2011 में हुयी है। धारा–113ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबन्ध प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होते हैं। अभियोजन अपने कथानक को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 जगमोहन एवं पी0डब्लू0–6 मुन्ना सिंह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी विनोद कुमार दीक्षित एवं पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इसके विपरीत बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये मृतका के पुत्र

डी0डब्लू0–1 अभिषेक शुक्ला ने बचाव साक्षी के रूप में सम्पूर्ण घटनाक्रम का स्पष्ट करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अभियोजन कथानक को अभियोजन साक्षीगण साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 को साबित किया है एवं पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि एक लाइगेचर मार्क 26 x 2 सें0मी0 गले के चारों ओर था, जिसमें 5 सें0मी0 का अन्तराल गले के बायें हिस्से में मौजूद था, जो कि ठुड्डी से 4 सें0मी0 दूर था एवं 1 सें0मी0 बायें कान के नीचे था। विच्छेदन करने पर चमकदार सफेद ऊतकों की उपस्थिति मौजूद थी। मस्तिष्क की झिल्लियां एवं मस्तिष्क कन्जेस्टेड थे। गले की हड्डी सही सलामत थी। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे। हृदय का दाहिना हिस्सा भरा हुआ तथा बायां हिस्सा खाली था। आमाशय में 50 एम0एल0 तरल पदार्थ मौजूद था एवं आमाशय की भित्ती सामान्य थी। छोटी एवं बड़ी आंत में गैस एवं मल पदार्थ की मौजूदगी थी। लीवर, तिल्ली और दोनों गुर्दे कन्जेस्टेड थे। शरीर में यूट्रस नहीं पाया गया था। पी0डब्लू0–4 ने मृत्यु के कारण के सन्दर्भ में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि फांसी के कारण दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया। मृत्यु का समय एक दिन के अन्दर का है। पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन सिंह की प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पृष्ठ–3 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पोस्टमार्टम करते समय मृतका के पेट में बच्चेदानी नहीं मिली थी, बच्चेदानी किसी सर्जरी द्वारा निकलवायी गयी होगी। पी0डब्लू0–4 ने यह भी कथन किया है कि मृतका ने खाना कब खाया था, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पेट में तरल पदार्थ मौजूद था, भोजन का कोई अवशेष नहीं मिला था। प्रतिपरीक्षा के अंतिम पृष्ठ पर पी0डब्लू0–4 ने यह कथन किया है कि मृतका जब पोस्टमार्टम के लिये आयी, तब उसके शरीर पर कपड़े व जेवर मौजूद थे। पी0डब्लू0–4 ने प्रतिपरीक्षा की अंतिम पंक्तियों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि **" यह सम्भव नहीं है कि मृतका को पहले गला दबाकर मार दिया हो, उसके बाद कपड़े का फन्दा बनाकर फांसी पर लटका दिया हो। "** पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन सिंह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका अनीता शुक्ला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

ऐसी दशा में अभियोजनपक्ष को अपना केस को साबित करने हेतु यह तथ्य साबित करना होगा कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को

आत्महत्या करने हेतु उत्प्रेरित/विवश किया गया था। धारा–306 भा0द0सं0 यह प्रावधानित करती है कि – '' जो कोई किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने हेतु उत्प्रेरित करेगा। '' वह धारा–306 भा0द0सं0 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन का केस यह है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर की जा रही प्रताड़ना से विवश होकर मृतका अनीता शुक्ला ने आत्महत्या कारित कर ली थी। पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन सिंह के साक्ष्य से आत्महत्या किया जाना साबित हो चुका है। ऐसी दशा में अभियोजन को मात्र यह तथ्य साबित करना है कि मृतका का अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर क्रूरता व उत्पीड़न किया जाता रहा है, जिससे विवश होकर मृतका अनीता शुक्ला ने आत्महत्या कर ली है। इस तथ्य को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से तथ्य के चार साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, जिसमें पी0डब्लू0–1 के रूप में मृतका के भाई विनोद कुमार दीक्षित, पी0डब्लू0–2 के रूप में मृतका के बड़े भाई अशोक दीक्षित, पी0डब्लू0–3 के रूप में मृतका के पड़ोसी जगमोहन एवं पी0डब्लू0–6 के रूप में भी मृतका के पड़ोसी मुन्ना सिंह को परीक्षित कराया गया है।

पी0डब्लू0–3 के रूप में परीक्षित जगमोहन दीक्षित ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजनपक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी0डब्लू0–3 जगमोहन दीक्षित ने यह कथन किया था कि यह कहना गलत है कि मृतका व मुल्जिमानो के बीच महेन्द्र शुक्ला के कामकाज न करने के कारण लड़ाई झगड़ा होने की जानकारी रही हो और पड़ोसी होने के कारण मुल्जिमानों को बचाने के लिये झूठी गवाही दे रहा है। अभियोजनपक्ष का यह सुझाव अभियोजन के केस के विपरीत है। जहां अभियोजन ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का कथन किया था, वहीं इस साक्षी के द्वारा मृतका के पति के कामकाज न करने को आत्महत्या की वजह के रूप में प्रस्तुत किया है।

पी0डब्लू0–6 के रूप में परीक्षित मुन्ना सिंह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि महेन्द्र शुक्ला कोई कामधाम नहीं करते थे। इन सब बातों को लेकर अभियुक्त महेन्द्र शुक्ला, उनके पिता उदय नारायन शुक्ला, मां मीरा देवी तथा अनीता शुक्ला के बीच विवाद हुआ करता था। पृष्ठ–3 पर पी0डब्लू0–6 मुन्ना सिंह ने यह कथन किया है कि मैंने महेन्द्र शुक्ला के यहां कभी लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा है। जैसे मैं कभी

कभार मोहल्ले में बैठ गया तो मोहल्ले वाले चर्चा करते थे कि कहीं झगड़ा हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने पर इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजनपक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु प्रतिपरीक्षा में भी कोई ऐसा तथ्य उद्घाटित नहीं हो सका, जो अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान करता हो।

प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के महत्वपूर्ण साक्षी पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित विनोद कुमार दीक्षित ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ–3 पर अन्त में पी0डब्लू0–1 ने यह कथन किया है कि '' मेरी बहन को कोई बीमारी बचपन से नहीं थी, लेकिन मृत्यु से लगभग पांच वर्ष पूर्व कुछ–कुछ दिक्कत हो गयी थी तो ससुराल वालों ने आपरेशन व इलाज कराया था। '' प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–4 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि '' मेरी बहन की शादी से बच्चे होने के बाद तक ससुराल में ठीकठाक रही। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुयी।'' पी0डब्लू0–1 का कथन कि मृत्यु से पांच वर्ष पूर्व कुछ दिक्कत हो गयी थी तो ससुराल वालों ने आपरेशन व इलाज कराया था। पी0डब्लू0–1 का यह कथन पी0डब्लू0–4 डा0 यशोवर्धन सिंह द्वारा किये गये कथन कि किसी सर्जरी से बच्चेदानी निकलवायी गयी थी, से समर्थन प्राप्त करता है तथा यह तथ्य मृतका और अभियुक्तगण के मध्य सामान्य सम्बन्ध होना एवं सामान्य सम्बन्ध होने के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा मृतका का समुचित इलाज कराया जाना दर्शित करता है।

पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित के पृष्ठ–4 में किये गये कथन कि विवाह से बच्चे होने तक ससुराल में सब ठीकठाक रहा, कोई परेशानी नहीं हुयी। बच्चे होने के बाद खर्चे बढ़े, तब समस्या उत्पन्न हुयी, यह तथ्य समाज की सामान्य क्रम के विपरीत है। अक्सर यह ही देखा गया है कि विवाह के ठीक बाद ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना व उत्पीड़न होता रहा है। समय के अन्तराल के उपरान्त इसकी संभाव्यता कम होती रही है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित द्वारा किया गया उपरोक्त कथन सामान्य क्रम में होना प्रतीत नहीं होता है।

पी0डब्लू0–1 ने ही अपनी प्रतिपरीक्षा पर यह कथन किया है कि ''बहन की ससुराल वालों ने कहा कि उनकी मदद करो नहीं तो दो बीघा जमीन दो। हम लोगों ने जमीन देने के लिये इन्कार कर दिया था।'' पृष्ठ–4 पर ही अंतिम पंक्तियों में पी0डब्लू0–1 ने यह कथन किया है कि '' मेरी बहन

के ससुराल वाले आर्थिक मदद के लिये कहलवाते थे, किन्तु कितने रूपये मांगे गये थे, यह वह लोग नहीं कहते थे कि कितना रूपया चाहिये। '' पी0डब्लू0–1 का यह कथन अभियोजन कथानक को बल प्रदान नहीं करता है। सामान्य रूप से दहेज में विशिष्ट मांग अथवा विशिष्ट रूपयों की मांग ही संभावित है। अस्पष्ट कथन अभियोजन कथानक को बल प्रदान नहीं करता है। पृष्ठ–5 पर पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित ने यह कथन किया है कि '' मैं अपनी बहन के ससुराल महीने पन्द्रह दिन में जाता था। जब मैं अपनी बहन के ससुराल जाता था, तब सब ठीकठाक नहीं मिलता था। अपनी बहन के घर अंतिम बार घटना वाले दिन गया था। घटना से 15 दिन पहले मैं अपनी बहन के ससुराल गया था, तब मेरी बहन के घर में तनातनी का माहौल था। मेरी बहन के ससुराल में आर्थिक तंगी के कारण मेरी बहन भी परेशान रहती थी। '' पृष्ठ–6 पर पी0डब्लू0–1 द्वारा यह बताया गया है कि '' कथित घटना की जानकारी दिनांक 23.09.2011 को प्रातः 7.00 बजे मिली थी। उसकी बहन के ससुराल के पड़ोसी ने मुझे घटना की सूचना फोन द्वारा दी थी। फोन मैंने उठाया था। फोन पर बताया कि बहन की तबियत खराब है, जल्दी चले आओ। सूचना मिलने पर सुबह सवा सात बजे घर से निकला था। मैं उस समय अकेला घटनास्थल के लिये गया था। '' पृष्ठ–7 पर प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–1 द्वारा बताया गया है कि घटनास्थल पर पहुंचने पर मैंने सबसे पहले तीसरी मंजिल पर एक बल्ली के सहारे साड़ी के फन्दे से बहन का शव लटकता देखा था। '' इसी प्रकार पृष्ठ–8 पर प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–1 द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना की जानकारी उसी दिन थाने पर दी थी। थाने पर जाकर जानकारी देने में उसके साथ उसके भाई व पिताजी थाने पर करीब 11 बजे गये थे। थाने की पुलिस ने घटना के बारे में आस–पड़ोस से पूछताछ की थी।'' इसी पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में पी0डब्लू0–1 द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के साथ दिनांक 29.09.2011 को समझौता हुआ था। समझौते में बच्चों के नाम मकान करने व देने का समझौता हुआ था।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित, जो कि मृतका का बड़ा भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ–2 में पी0डब्लू0–2 ने यह कथन किया है कि '' मैं दो भाई व दो बहन थी। भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ। '' प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–2 के अन्त में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि '' महेन्द्र शुक्ला अकेले भाई हैं

व तीन बहनें हैं। अनीता के दो बच्चे हैं। बड़ा लड़का है, जिसकी उम्र घटना के समय 12 वर्ष व लड़की की उम्र 10 वर्ष थी। मेरे भाई का नाम विनोद दीक्षित है। विनोद के दो लड़के शिवम व सनी हैं। शिवम नौकरी करता है। नौकरी घटना के लगभग एक वर्ष पहले लगी, वह सेना में नौकरी करता है।'' इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा–2 में यह कथन किया है कि '' घटना की सूचना मेरे भाई ने दी थी। सूचना पौने छः बजे के लगभग सुबह 23.09.2011 को मिली थी तथा सुबह 8.30 बजे कथित घटनास्थल पहुंच गये थे। मेरे साथ मेरी पत्नी गयी थी, बच्चे नहीं गये थे। '' पी0डब्लू0–2 का उपरोक्त कथन पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित के इस कथन को समर्थन प्रदान नहीं करता है, जिसमें पी0डब्लू0–1 ने यह बताया है कि '' कथित घटना की जानकारी दिनांक 23.09.2011 को प्रातः 7.00 बजे मिली थी। उसकी बहन के ससुराल के पड़ोसी ने मुझे घटना की सूचना फोन द्वारा दी थी।'' जहॉ एक तरफ पी0डब्लू0–1 वादी विनोद कुमार दीक्षित ने मृतका के पड़ोसी द्वारा सुबह 7.00 बजे सूचना दिया जाना बताया है, वहीं पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने पी0डब्लू0–1 (भाई विनोद दीक्षित) द्वारा सूचना पौने छः बजे दिया जाना बताया है। यदि पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित को घटना की सूचना स्वयं 7.00 बजे प्राप्त हुयी, वहीं पी0डब्लू0–2 (अशोक दीक्षित) को विनोद दीक्षित द्वारा प्रातः पौने छः बजे सूचना दिया जाना संभाव्य नहीं है। निश्चित रूप से पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 में से कोई साक्षी सत्य नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार जहां एक ओर पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने अपनी पत्नी के साथ घटनास्थल पर जाना बताया है, वहीं दूसरी ओर पी0डब्लू0–1 वादी विनोद कुमार दीक्षित ने घटनास्थल पर अकेले जाने का कथन किया है। साक्षीगण के साक्ष्य में आया उपरोक्त विरोधाभाष भी अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–4 पर यह कथन किया है कि '' पंचायतनामा मेरे सामने हुआ था। मुझे याद नहीं है कि पोस्टमार्टम होने के बाद बाडी किसे दी गयी थी। मैं दिनांक 24.09.2011 को वापस लखनऊ चला गया था। '' इसी साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–7 पर यह बताया है कि '' पोस्टमार्टम हाउस से शव मेरे परिवार को दिया गया था। मृतका अनीता का अंतिम संस्कार भैरोंघाट के विद्युत शवदाह गृह में पांच के बाद किया गया था। मृतका अनीता के संस्कार के समय मृतका के ससुराल पक्ष व बच्चे नहीं थे। '' इस प्रकार इस साक्षी ने जहां एक ओर यह कथन किया है कि मुझे याद नहीं है कि पोस्टमार्टम होने

के बाद बाडी किसे दी गयी थी। वहीं दूसरी ओर से मृतका का अंतिम संस्कार भैरोंघाट पर होने का कथन किया है, जो आपस में विरोधाभाषी कथन हैं। यही नहीं यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यदि मृतका का अंतिम संस्कार वादी मुकदमा के परिवार ने किया है तो विद्युत शवदाह गृह से रसीद प्राप्त कर इस तथ्य को साबित करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु शवदाह गृह की रसीद की अनुपस्थिति में भी पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित का कथन कि मृतका का अंतिम संस्कार उन लोगों द्वारा किया गया था, संदिग्ध प्रतीत होता है।

बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक फर्जी व काल्पनिक है। अभियोजन ने पूर्ण विचार करके सोच–समझकर कथित घटना के तीन महीने बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 23.09.2011 को होना कथित है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि मृतका की मृत्यु के बाद पंचायतनामा के समय अभियोजनपक्ष के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी अशोक कुमार दीक्षित, मृतका की मां एवं अन्य परिवारीजन उपस्थित थे। स्पष्ट है कि घटना की सूचना वादी मुकदमा को घटना के ठीक बाद हो चुकी थी। पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ–8 पर यह कथन किया है कि घटना की जानकारी उसी दिन थाने पर दी थी। थाने पर जानकारी देने में उसके साथ उसके भाई व पिताजी थे। थाने में करीब 11 बजे के आस पास गये थे। थाने की पुलिस लगभग 11 बजे घटनास्थल पर आ गयी थी और पुलिस ने घटना के बारे में आस–पड़ोस से पूछताछ भी की थी, किन्तु पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित वादी के बड़े भाई अशोक दीक्षित ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–7 पर यह कथन किया है कि पंचायतनामे के समय मेरे परिवार में मैं, मेरे भाई, माता जी, कमलेश व विनय उपस्थित थे। ससुराल पक्ष से कोई नहीं था। पृष्ठ–4 पर पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित द्वारा प्रतिपरीक्षा की अंतिम पंक्तियों में यह कथन किया गया है कि वह जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पुलिस मौजूद थी। घटना की सूचना थाने पर किसने की थी, हमें नहीं मालूम। दिनांक 24.09.2011 को वह वापस लखनऊ चला गया था। स्पष्ट है कि पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित के थाने जाने वाले कथन पर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त पी0डब्लू0–7 के रूप में परीक्षित अभियोजन साक्षी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि थाने में तैनाती के

दौरान मृतका अनीता शुक्ला या उनके परिवारीजनों द्वारा कोई प्रताड़ना या अन्य कोई शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–6 पर पी0डब्लू0–7 निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार ने अंतिम पंक्तियों में यह भी कथन किया है कि दिनांक 23.09.2011 को पूछताछ में आत्महत्या का कोई कारण किसी के द्वारा नहीं बताया गया। उस समय अनीता शुक्ला के परिवारीजनों द्वारा ससुरालीजनों पर कोई प्रताड़ना का आरोप नहीं लगाया गया और न ही उसे कोई शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था।

पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि घटना दिनांक 23.09.2011 के बाद वादी मुकदमा ने धारा–156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया था तथा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 21.12.2011 को प्रस्तुत किया गया था, जो घटना के लगभग तीन माह के बाद दिया गया था। स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने उक्त घटना की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लगभग तीन माह बाद दिया था। अभियोजनपक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने पर उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रार्थनापत्र दिया था तथा फिर भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया था, किन्तु पत्रावली के परिशीलन से वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 के अतिरिक्त ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह दर्शित करता है कि घटना के बाद वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थनापत्र दिनांकित 21.12.2011 के आधार पर न्यायालय के आदेश के कम में दिनांक 11.01.2012 को दर्ज हुयी है। उक्त तीन माह की देरी का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में तीन माह का विलम्ब असामान्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था **साहिब सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 पृष्ठ–3247 एवं स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दलजीत सिंह (2004) (16) एस0सी0सी0 पृष्ठ–141** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ असामान्य विलम्ब अभियोजन कस को संदिग्ध बनाता है। जहां वादी मुकदमा का यह कथन है कि दहेज के लिये प्रताड़ना के चलते ही मृतका ने आत्महत्या की है, ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में तीन माह के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण न होना अभियोजन के कथानक को After Thought होना दर्शित करता है। विधि का

यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में असामान्य विलम्ब एवं Unexplain Delay अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

जहां तक अभियोजन कथानक दहेज की मांग और प्रताड़ना का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य में यह तथ्य दर्शित हुआ है कि मृतका को सारे ससुरालीजन आर्थिक तंगी के चलते दो बीघा खेत व पैसे की मांग करते थे। पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित मृतका के भाई अशोक दीक्षित ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–5 पर यह बताया है कि '' अनीता अपनी समस्या हमारी माता जी को समय–समय पर बताती थी। अक्सर नहीं आती थी, 06 माह में आती थी। माता जी ने यह बात हम लोगों को बतायी थी, खुलकर नहीं बतायी। '' यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि मृतका की मां स्वाभाविक रूप से मृतका के सर्वाधिक निकट रही होगी एवं पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित द्वारा मृतका की मां से मृतका द्वारा अपनी शिकायत का उल्लेख किये जाने का कथन किया गया था, किन्तु मृतका की मां की जीवित रहते हुए भी उन्हें अभियोजन द्वारा डिस्चार्ज कराया गया है, उनको साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि वह मृतका से प्रताड़ना व दहेज की मांग की सर्वोत्तम साक्षी हो सकती थी। पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित ने यह भी कथन किया है कि '' शादी से मरने के दिन तक किसी भी प्रकार की दहेज प्रताड़ना का कोई प्रार्थनापत्र कहीं नहीं दिया था। अनीता ने आत्महत्या के 06 माह पूर्व भाई विनोद के लाने पर बहन बच्चों के साथ आयी थी। तीन–चार दिन रूकने के बाद मेरा भाई विनोद छोड़कर आया था। इन तीन–चार दिनों के प्रवास के दौरान दहेज की मांग या प्रताड़ना की शिकायत मेरे परिवार वालों से की या नहीं, मैं नहीं बता सकता। '' पी0डब्लू0–2 अशोक दीक्षित मृतका का बड़ा भाई है एवं यदि मृतका के द्वारा कोई ससुरालीजनों की शिकायत की गयी थी तो निश्चित रूप से यह उसके संज्ञान में लायी गयी होगी, किन्तु पी0डब्लू0–2 का यह कथन भी अभियोजन कथानक को बल प्रदान नहीं करता है। पी0डब्लू0–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–5 पर यह भी कथन किया है कि '' अनीता ने एक बार पति, सास, ससुर, ननद पूनम व नन्दोई के खिलाफ मुझसे शिकायत की थी। केवल पांचों लोगों को समझाने व शिकायत करने 10–15 दिन बाद गये थे, उन्हें समझाया था। यही नहीं पी0डब्लू0–1 विनोद कुमार दीक्षित द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में मात्र दहेज एवं रूपयों की मांग तथा दो बीघा जमीन का उल्लेख किया गया है। न्यायालय इस मत की है कि दहेज में किसी विशिष्ट वस्तु अथवा विशिष्ट

धनराशि का उल्लेख नहीं किया जाता है, मात्र अस्पष्ट शब्द रूपये की मांग भी अभियोजन कथानक को बल प्रदान नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय इस मत की भी है कि मृतका अनीता का विवाह वर्ष–1993 में हुआ था तथा उसकी मृत्यु वर्ष–2011 में हुयी है। इस लम्बे अन्तराल के मध्य मृतका ने अथवा उसके परिवारीजनों ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थनापत्र आदि न तो प्रस्तुत किया और न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। इस तथ्य के बाबत् ही मृतका के पड़ोसी पी0डब्लू0–3 जगमोहन दीक्षित एवं पी0डब्लू0–6 मुन्ना सिंह को परीक्षित कराया गया था, किन्तु उक्त अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक को समर्थन प्रदान नहीं किया है और मृतका की मृत्यु का कारण दहेज सम्बन्धी प्रताड़ना का कोई कथन नहीं किया है। दहेज की मांग को लेकर विवाह के 18 वर्षों के बाद प्रताड़ना किया जाना भी सामान्य क्रम में सम्भावित नहीं है। वस्तुतः दीर्घ समयान्तराल के पश्चात् स्थितियां सामान्य होने लगती हैं। यही नहीं मृतका एवं ससुरालीजनों के व्यवहार व घटनाक्रम के सम्बन्ध में सर्वोत्तम साक्षी मृतका की माता को अभियोजन ने उन्मोचित कर परीक्षित नहीं कराया है। साथ ही साथ उपरोक्त घटना के दूसरे सर्वोत्तम साक्षी मृतका के पुत्र या पुत्री हो सकते थे, जिन्हें भी अभियोजन ने परीक्षित नहीं कराया है, जबकि मृतका का पुत्र अभिषेक शुक्ला बचावपक्ष की तरफ से परीक्षित हुआ है तथा उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि वस्तुतः मृतका ने अपने भाई विनोद दीक्षित को जेवर उधार दिया था, जिसको बन्धक रखकर पैसे लेकर विनोद दीक्षित ने अपने पुत्र को सेना में नौकरी दिलवायी थी तथा जेवर वापस मांगने पर विनोद दीक्षित द्वारा इनकार किये जाने से मृतका परेशान थी एवं इसी के कारण उसने आत्महत्या कर ली। डी0डब्लू0–1 अभिषेक शुक्ला के द्वारा मृतका के ससुरालीजनों द्वारा किसी क्रूर बर्ताव, प्रताड़ना व उत्पीड़न से इन्कार किया गया है, जबकि वह मृतका का पुत्र है एवं उसी घर में उसका निवास भी है। मृतका के पुत्र, जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 12 वर्ष की थी, के द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया जाना भी अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। न्यायालय इस मत की है कि 12 वर्ष की आयु का बालक घर में हो रही घटनाओं को समझने के लिये पर्याप्त समझदार होता है तथा उसकी मां के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को साक्षी विस्मृत कर जाये, यह सामान्य क्रम में संभावित नहीं है। मृतका के पुत्र द्वारा बचावपक्ष के साक्षी

के रूप में परीक्षित होकर अभियोजन कथानक से इनकार किया जाना भी अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

अभियोजनपक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजनपक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि दिनांक 22/23.09.2011 को किसी समय स्थान म0नं0–56 एम0आई0जी0 गंगागंज भाग–2 पनकी, अन्तर्गत क्षेत्राधिकार थाना–पनकी, कानपुर–नगर में अभियुक्तगण ने मिलकर वादी की बहन मृतका अनीता शुक्ला को इस प्रकार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि उक्त प्रताड़ना से दुष्प्रेरित होकर मृतका अनीता शुक्ला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

उपरोक्त सम्पूर्ण समीक्षा के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि अभियोजनपक्ष, अभियुक्तगण महेन्द्र शुक्ला एवं उदय नारायन शुक्ला के विरूद्ध लगाये गये अन्तर्गत धारा–306 भा0द0सं0 को सन्देह की सीमा से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उनके विरूद्ध लगाये गये उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण महेन्द्र शुक्ला एवं उदय नारायन शुक्ला को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–306 भा0द0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के अन्दर धारा–437ए द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पचास–पचास हजार रूपये के दो जमानती व इसी धनराशि का निजी बन्धपत्र इस आशय का प्रस्तुत करे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में योजित की जाती है तो वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे।

<u>दिनांक–16.08.2022</u>

(अजय कुमार त्रिपाठी–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
कानपुर नगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनांक–16.08.2022

(अजय कुमार त्रिपाठी–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
कानपुर नगर।

Digitally signed by Ajay Kumar Tripathi
Date: 2022.08.16 16:19:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court